**बिहार सरकार**
**<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>**

पत्रांक 160598      पटना, दिनांक 22/8/13

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(लक्ष्य)-19/2013

प्रेषक,

**अमृत लाल मीणा,**
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

**<u>सभी जिला पदाधिकारी</u> ।**
**सभी उप विकास आयुक्त ।**

**विषय :-** **इंदिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र लाभुकों का शत प्रतिशत आच्छादन के फलस्वरूप इस वर्ग के अवशेष लक्ष्य का हस्तांतरण के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-14.08.13 को इंदिरा आवास योजना के लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि से संबंधित कार्यों की प्रगति की जिलों के साथ Video Conferencing के माध्यम से की गई समीक्षा के क्रम में कतिपय उप विकास आयुक्त द्वारा किसी पंचायत के इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची में अल्पसंख्यक वर्ग के लाभुकों का शत प्रतिशत आच्छादन हो जाने के फलस्वरूप इस वर्ग के लिए कर्णांकित अवशेष लक्ष्य को उसी पंचायत के अन्य वर्ग को हस्तांतरित करने के संबंध में विभागीय दिशा-निर्देश की अपेक्षा की गई ।

इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका-3.4 में उल्लेख है कि योजना की 15% राशि का व्यय अल्पसंख्यक वर्ग के आवास निर्माण हेतु किया जायेगा । इसी कंडिका में यह भी उल्लेख है कि यदि किसी जिला में किसी वर्ग के योग्य लाभुक नहीं बचते हैं तो उसे जिला पदाधिकारी या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पर्षद के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र देने के उपरांत अवशेष लक्ष्य को अन्य जिलों में समानुपतिक रूप से आवंटित किया जायेगा । एक बार प्रमाणित करने के पश्चात उस जिले को भविष्य में उस कोटि के लिए कोई लक्ष्य नहीं दिया जायेगा ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त निम्न निदेश दिये जाते हैं :-

1) यदि किसी पंचायत में अल्पसंख्यक वर्ग के सभी सुपात्र लाभुकों का आच्छादन कर लिया गया हो तो उस पंचायत के अल्पसंख्यक वर्ग के अवशेष लक्ष्य को प्रखण्ड के अन्य पंचायतों में अल्पसंख्यक वर्ग के जनसंख्या के आधार पर अनुपातिक रूप से वितरित किया जाय ।

2) यदि किसी प्रखण्ड स्तर पर ऐसी स्थिति आती है तो जिला के अन्य प्रखण्डों में अल्पसंख्यक वर्ग के आबादी के आधार पर अनुपातिक रूप से वितरित किया जाय ।

3) यदि पूरे जिले के प्रखण्डों की प्रतीक्षा सूची में अल्पसंख्यक वर्ग के सुपात्र लाभुक नहीं बचे हों तो मार्गदर्शिका में निहित व्यवस्था के अनुसार जिला पदाधिकारी या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पर्षद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला में अल्पसंख्यक वर्ग के अवशेष बचे लक्ष्य को विभाग को प्रत्यर्पित किया जाय ताकि विभाग स्तर से उसे अन्य जिलों को हस्तांतरित किया जा सके ।

यहां पुन: स्पष्ट करना है कि इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची में अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र परिवार के अवशेष नहीं रहने का प्रमाण पत्र दिये जाने के बाद इस वर्ग के लिए जिला को आगे कोई लक्ष्य नहीं दिये जायेंगे, अतएव इस मामले में पूरी सतर्कता एवं सुक्ष्मता से विचार किये जाने उपरांत ही प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए ।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग को पूरा करने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन

21.8.13

**(अमृत लाल मीणा)**

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 160598 पटना, दिनांक 22/8/13

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.8.13

सरकार के सचिव